



महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान
(मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का संस्थान)
आर - 24, पौन - 1 एम.पी.नगर भोपाल (मध्यप्रदेश) - 462003
फोन नं. - 0755-2676203
ई-मेल maharshipatalanjali2014@gmail.com
वेबसाइट www.maharshipatalanjali.org

भोपाल, दिनांक 11/12/18

क्र./म.प.सं.सं./अका./साना./2018/2109
आदेश

माननीय मंत्री महोदय स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं देयरसेन महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान की अध्यक्षता में आयोजित संस्थान की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 5 मई 2018 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 7 में लिए गये निर्णयानुसार एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक /राशिके /पापु/2016/654 भोपाल दिनांक 22.01.2016 के परिप्रेष्य में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न समितियों की बैठक, कार्यशाला, सेमिनार, महोत्सव, प्रशिक्षण आदि में माननीय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं विशेष आमंत्रित विद्वानों को दिये जाने वाले मानदेय एवं यात्रा भत्ता की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.	विशेषज्ञों का विवरण	मानदेय की दर प्रति दिवस
1	शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों / विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक / विषय विशेषज्ञों जिन्हें संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार / बैठकों/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर/पुस्तक लेखन/अन्य लेखन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है।	रु.500+टी.ए.,डी.ए.+आवास
2	शासकीय एवं अशासकीय विश्वविद्यालय / महाविद्यालय/राज्य/ राष्ट्रिय संस्थानों के विशेषज्ञों/ सेवानिवृत्त शिक्षकों/विद्वानों को संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार बैठक/ कार्यशाला/ प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर/पुस्तक लेखन/अन्य लेखन कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है।	रु.1,000+टी.ए.,डी.ए.+आवास
3	महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान की कार्यपरिषद्/ विद्यापरिषद्/ वित्त समिति के माननीय अशासकीय सदस्यों जिन्हें बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।	रु.1,000+टी.ए.,डी.ए.+आवास
4	महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान की विभिन्न उपसमितियों के अशासकीय सदस्यों जिन्हें बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है।	टी.ए.,डी.ए.+आवास
5	शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों / विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जिन्हें संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया है।	रु. 300/-
6	विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ विद्यालयीन शिक्षक/विषय विशेषज्ञ/आमंत्रित विद्वान जिन्हें प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर/प्रशिक्षक /व्याख्यान एवं पुस्तक लेखन/अन्य लेखन कार्य से बुलाए जाने पर स्थानीय वाहन भत्ता।	म.प्र.शासन के पत्र क्रमांक एक 11-12/2010/नियम /4 भोपाल दिनांक 05 सितम्बर 2012 के पात्रता अनुसार (ग्रैड पे)
7	टी.ए.,डी.ए. एवं आवास व्यवस्था	

संस्थान की विभिन्न समितियों में नामांकित अथवा अन्य बैठकों में सम्मिलित होने के लिए संस्थान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय/स्थानीय वाहन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

(प्रभाकराज तिवारी)

निदेशक
महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान
भोपाल, दिनांक 11/12/18

पु.क्र./म.प.सं.सं./अका./साना./2018/2109
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, दल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।।
3. आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।।
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।।
5. प्रभारी लेखा/परीक्षा/सम्बद्धता/सामान्य/भण्डार की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।।

निदेशक
महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान

Karjya/ajayakshikar@200

Received
11/12/18